सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 77 आषाढ़ 19, गुरुवार, शाके 1947–जुलाई 10, 2025 अंक 15
Vol. 77 Asadha 19 , Thursday, Saka 1947–July 10, 2025 No. 15

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम/उपनाम/सरनेम परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र

[नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग के आदेश सं. एफ. 1/12/ एफ.डी.ई.आर.187, दिनांक 10.04.57 की अनुपालना में]

इस बन्ध–पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता श्याम लाल बैरवा (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व श्याम लाल चमार (पुराना नाम) कहलाता था/कहलाती थी एवं जो कनिष्ठ लिपिक (संबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (स्थान जहां से राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था/थी, एतद्द्वारा :–

1. स्वयं तथा मेरे पति/मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हो मेरे पूर्व नाम श्याम लाल बैरवा उपनाम श्याम लाल चमार (सिर्फ) को त्यागता/त्यागती हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम श्याम लाल बैरवा तथा उपनाम श्याम लाल ग्रहण करता/करती हूँ एवं इसलिए मैं, मेरे पति/मेरी पत्नी, बच्चे दूर के बच्चे एतद्द्वारा मेरे पूर्व उपनाम श्याम लाल चमार (केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाए बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम श्याम लाल बैरवा द्वारा जाने जाएं।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता/करती हूँ कि मैं एतद्पश्चात् सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बंध–पत्रों, प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन–देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम श्याम लाल चमार तथा उपनाम (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में श्याम लाल बैरवा नाम के रूप में तथा उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा/करूंगी एवं हस्ताक्षर करूंगा/करूंगी।
3. स्पष्टतः एतद्पश्चात् तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी/पति, मेरे बच्चे, दूर के बच्चों को तदनुसार नये रखे नाम श्याम लाल बैरवा उपनाम श्याम लाल चमार के नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करता/करती हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता/करती हूँ।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम श्याम लाल बैरवा तथा श्याम लाल चमार का वर्णन किया है तथा दिनांक 03.06.2025 को हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम श्याम लाल बैरवा द्वारा जो पूर्व में श्याम लाल चमार कहलाता था/कहलाती थी, हस्ताक्षर किये है।

साक्षी :–

1. घन्श्याम उपाध्याय, (VDO)
2. बाबुलाल शर्मा, (LDC)

हस्ताक्षर
नया नाम : श्याम लाल बैरवा
पुराना नाम : श्याम लाल चमार

प्रतिहस्ताक्षर
MUKESH PORWAL
चिकित्सा अधिकारी
पंचायत समिति कपासन
जिला– चित्तौड़गढ़।

7587

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।